

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर
(वाणिज्य विभाग)

क्र./अ.प्र.नि./जोधपुर डिस्कॉम/ अनु. सी I/ फ. / पत्रा /प्रे,सं,1936दिनांक 9.10.2002

आदेश

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा पारित टैरिफ-2001 के आदेशानुसार फ्लेट रेट टैरिफ के कृषि उपभोक्ताओं को मीटर लगाकर कृषि सेवा के मीटर्ड आपूर्ति श्रेणी में प्रभारित किया गया है व किया जा रहा है ।

निगम के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह जानकारी में लाया गया है कि ऐसे कृषि उपभोक्ताओं द्वारा मीटर प्रणाली में परिवर्तित होने के पश्चात नियम विरुद्ध मीटर को उतारा जा रहा है, तथा बिल भी रीडिंग नहीं आने के कारण मिनिमम चार्ज के ही जारी हो रहे है।

ऐसे प्रकरणों में समन्वय समिति की बैठक दिनांक 04.10.2002 में निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के मामलों में कृषि उपभोक्ता से फ्लेट रेट एवं फ्लेट रेट के समान दुरुपयोग राशि, मीटर प्रणाली में परिवर्तित करने की तिथि से चार्ज की जाये व यह दुरुपयोग राशि तब तक चार्ज की जाये, जब तक कृषि उपभोक्ता पुनः सुचारू रूप से मीटर प्रणाली में परिवर्तित नहीं हो जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।



(एच.एस.देवड़ा)

उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, उर्जा विभाग, जयपुर ।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं सधां-जोधपुर जोन/बीकानेर जोन),
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (उर्जा), रीको जयपुर ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि एवं सधां/पी.पी.एण्ड एम/पदार्थ प्रबन्ध/
एमएण्ड पी /बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / बीकानेर /
बाड़मेर/जैसलमेर/चुरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं सधां./एम. एम./अकॅक्षण) जोधपुर डिस्कॉम,